दिनांक 27, 28 फरवरी 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–4629/110/तीन/97–VI, दिनांक 18.02.2015 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।
- सूडा के संबंधित पटल को भी निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों/शहरों की एम0पी0आर0 निर्धारित तिथि के अन्दर ई–मेल के द्वारा सूडा को प्रेषित नही की जाती है तो ऐसे जनपदों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाए। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि योजनाओं की प्रगति से राज्य एवं भारत सरकार को निर्धारित तिथि तक संबंधित सूचना प्रेषित की जानी होती है अतः जिन जनपदों द्वारा बार–बार निर्देशित करने के उपरान्त भी समय से एम0पी0आर0 ई–मेल के द्वारा सूडा को उपलब्ध नही कराई तो ऐसे जनपदों के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- **जनपदों के परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के समस्त उपघटकों की भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम0पी0आर0) का साफ्टवेयर शीघ्र ही जनपदों के लिए सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड कराया जा रहा है, जिसे समस्त जनपद डाउनलोड करके संबंधित समस्त प्रारूप पर प्रगति अंकित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) की ई–मेल आई0डी0 जिसका उल्लेख भी सूडा की वेबसाइट पर होगा, पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई–मेल करना सुनिश्चित् करेंगे।**
- **समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई–मेल प्रेषण में विषय जरूर अंकित किया जाय।**

(कार्यवाही सूडा)

- बैठक में निर्देश दिये गये कि अनुपस्थित एवं विलम्ब से उपस्थित हुये परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अधिष्ठान सूडा को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सूडा अधिष्ठान)

- समीक्षा बैठक में गत माह दिनांक 27.01.2015 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत जनपद इलाहाबाद, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, गौतमबुद्ध नगर, हरदोई कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सुल्तानपुर की कतिपय परियोजनाओं की

भारत सरकार द्वारा परियोजनान्तर्गत राज्य द्वारा प्रस्तावित सरेण्डर स्वीकृति उपरान्त मूल्यवृद्धि की सशोधित डी0पी0आर0 अभी तक सूडा को प्राप्त नहीं हुयी है, के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कराकर सूडा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि जिस संबंधित जनपद द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जाता है तो पत्रावली में कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही सूडा/डूडा/कार्यदायी संस्था)

- बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के सबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में माह की **05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना** सुनिश्चित् करें अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि **बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0** योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय संबंधित जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपद द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही असंतोषजनक है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूडा की ई–मेल आई0डी0 एवं अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक, सूडा की ई–मेल आई0डी0 पर मेल किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

<u>राजीव आवास योजना</u>

- राजीव आवास योजना की समीक्षा करने पर प्रगति अत्यंत असंतोषजनक पायी गयी। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल उनके द्वारा निर्धारित की गई समय सारिणी/वर्क प्लान के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। **सूडा के अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थल निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए इसकी आख्या से भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।** संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। योजना में प्रगति असंतोषजनक के संबंध में निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण में उनके द्वारा वांछित प्रगति लाने का आश्वासन दिया गया। सूडा के संबंधित पटल को प्रगति हेतु पत्रालेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय संबंधित जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपद द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही असंतोषजनक है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त

का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूडा की ई–मेल आई0डी0 एवं अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक, सूडा की ई–मेल आई0डी0 पर मेल किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

➢ कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुनांवृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो।

(कार्यवाही –सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

अफोंडेबिल हाउसिंग

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि आवास विकास तथा प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित कर योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 तत्काल तैयार कराकर सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् करें। जनपद इलाहाबाद को छोड़कर अभी तक कहीं से भी डी0पी0आर0 प्राप्त न होने पर घोर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व जनपदों द्वारा डी0पी0आर0/तत् संबंध में कार्यवाही से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही समस्त संबंधित डूडा)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर घोर असंतोष प्रकट किया गया, कुल स्वीकृत आवासों के सापेक्ष मात्र 1/3 आवासों पर ही कार्य प्रारम्भ कराया गया है। इस प्रकार 2/3 आवासों पर अभी भी कार्य प्रारम्भ नहीं है तथा पूर्ण आवासों की संख्या मात्र 136 है, जो अत्यन्त न्यून है। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि तत्काल परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने की समय–सारणी के अनुसार प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया है कि जिन परियोजनाओं पर धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये है, पर तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित् किया जाय।

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त संबंध में कतिपय जनपदों के द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इन–सीटू आवासों की परियोजनाए तैयार करने हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, इस संबंध में जनपद सुल्तानपुर, बहराइच, भदोही, बांदा, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फैजाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद आदि जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इन–सीटू की डी0पी0आर0 हेतु समस्त सूचना तीन माह पूर्व ही सी0 एण्ड डी0एस0 को उपलब्ध करा दी गयी थी किन्तु सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा अभी तक डी0पी0आर0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कार्यदायी संस्था को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद सुल्तानुपर द्वारा अक्टूबर, 2014 में इन–सीटू आवास हेतु समस्त सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी किन्तु डी0पी0आर अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। डी0पी0आर0 उपलब्ध न कराये जाने पर बैठक में असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र समस्त डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014

निर्गत किया जा चुका है। इस शासनादेश के बिन्दु संख्या–3 में निर्देश दिये गये है कि योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा यथा आवश्यकता अवस्थापना कार्य हेतु प्रति आवास लागत की 25 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि इसी योजना के बजट से स्वीकृत की जायेगी। अतः पूर्व स्वीकृत परियोजनओं में अवस्थापना कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा अभी तक पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अवस्थापना कार्य हेतु जनपद रामपुर को छोड़कर कोई भी डी0पी0आर0 उपलब्ध न कराया जाना बैठक में संज्ञान में लाया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि से असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अवस्थापना कार्यों की डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

- बैठक में विभिन्न जनपदों की आसरा योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी एवं प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत निर्माण की प्रगति के फोटोग्राफ एवं इसकी विडियोग्राफी सूडा को उपलब्ध करायी जाय। इस हेतु शीघ्र ही सूडा की वेबसाइट पर डिजिटल फोल्डर अपलोड कराया जा रहा है जिसको डाउनलोड कर ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित करना सुनिश्चित् किया जाय। समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की तथा कार्य समाप्ति की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न करें तथा इसे सूडा को भी प्रेषित करें।

- समस्त जनपदों/कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित् किया जाय कि डी0पी0आर0 में इस आशय का प्रामण–पत्र अवश्य संलग्न हो कि परियोजना में मानकीकृत मात्रा एवं मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जनपदों/कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना को निदेशक, कार्यदायी संस्था के हस्ताक्षर के उपरान्त ही सूडा को प्रेषित की जाय अन्यथा डी0पी0आर0 अपूर्ण मानी जायेगी एवं इसके लिए संबंधित जनपद/कार्यदायी संस्था जिम्मेदार होगी।

- डी0पी0आर0 बनाने से पूर्व वहाँ पर **Needbased** सर्वे करा लिया जाय अर्थात जो आवास बनाये जाने है उनकी आवश्यकता/उपयोगिता है अथवा नहीं। यह भी सुनिश्चित् कर लिया जाय कि उस स्थान पर या उसके आस–पास अन्य आवासीय योजना यथा – कांशीराम आवास योजना, आई0एच0एस0डी0पी0, बी0एस0यू0पी0 आदि में पूर्व मे निर्मित आवासों में पर्याप्त लाभार्थी है और प्रस्तावित आसरा योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के लिए पर्याप्त मात्रा में पात्र लाभार्थी उपलब्ध है तदोपरान्त ही डी0पी0आर0 तैयार की जाय जिससे कि निर्माण के उपरान्त लाभार्थी न होने की दशा में धनराशि के अपव्यय होने से बचा जा सके।

- इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि परियोजना सम्पूर्ण बस्ती को लेकर तैयार की गयी है। इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण करने से पूर्व लाभार्थी से भू–स्वामित्व का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(संबंधित सूडा/कार्यदायी संस्था)

➢ समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित किये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय संबंधित

जनपदों को छोड़कर किसी भी जनपद द्वारा निरीक्षण आख्या प्रेषित नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही असंतोषजनक है। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि उक्त का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय तथा निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में सूडा की ई–मेल आई0डी0 एवं संयुक्त निदेशक, सूडा की ई–मेल आई0डी0 पर मेल किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

➢ जनपदों/कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति) के अंतर्गत बजट के सापेक्ष सभी प्रस्ताव आना शेष है, अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुर्नावृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही –सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया गया था। योजनान्तर्गत प्रदेश के अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा उक्त कट आफ डेट को पुनः विस्तारित करते हुए 30.11.2014 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत आदेश समस्त जिलाधिकारी/परियोजना अधिकारी डूडा को समयानुसार प्रेषित किया जा चुका है। यह निर्देश दिये गये कि नवीनतम निर्धारित कट आफ डेट के अन्तर्गत जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत पर पंजीकृत निजी स्वामित्व रिक्शा चालकों की सूची तत्काल सत्यापन के उपरान्त अभिकरण मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। आवेदन पत्र योजना से संबंधित पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या–35 दिनांक 24.01.2013 के अनुरूप जमा कराया जाये। त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके है।

समीक्षा के दौरान जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि उपलब्ध करायी जाने वाली सूचियों में **अनुसूचित जाति तथा अल्प संख्यकों का भी वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें,** साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि **जिन जनपदों की सूचना शून्य है वह सक्षम स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर पत्र प्रेषित करें।**

इसके अतिरिक्त नई कट आफ डेट की सूचना शीघ्र विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करने के निर्देश भी दिये गये तथा रिक्शा योजना का प्रचार–प्रसार अधिक से अधिक कराने के निर्देश भी दिये गये ताकि शासनादेश के अनुरूप समस्त पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए लाभान्वित किया जा सके।

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। विगत मासिक समीक्षा बैठकों में दिये गये सतत् निर्देश के बाद भी किसी भी जनपद से अपेक्षित जानकारी प्राप्त न होने के संबंध में निदेशक महोदय द्वारा यह निर्देशित

दिये गये कि इस संबंध में सागरत परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। निर्देशित किया गया है कि उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)

- प्रश्नगत परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित प्रारूप पर समस्त जनपद वांछित सूचना तत्काल अभिकरण को उपलब्ध करायें, परन्तु अधिकांश जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी। परियोजना अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विगत दिनों अभिकरण मुख्यालय पर उक्त योजना के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु भारत सरकार को संबंधित मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा इस तथ्य की ओर इंगित किया गया कि पूर्व में प्रश्नगत सर्वेक्षण कार्य के राम्बन्ध में अभिकरण एवं शासन स्तर से भारत सरकार से प्राप्त जनपदों से प्रेषित की गयी USHA की गाइडलाइन एवं अभिकरण मुख्यालय स्तर से स्लम सर्वे प्रोफाइल एवं हाउस होल्ड पावर्टी सर्वे प्रोफाइल तथा लाइवलीहुड सर्वे प्रोफाइल के मुद्रित प्रारूप उपलब्ध कराये जाने के बावजूद अपट्रॉन द्वारा ऑनलाइन डेटाफिडिंग के अवलोकन पर जनपद स्तर से स्लम प्रोफाइल सम्बन्धी विवरण प्रदर्शित नहीं है। इस संबंध में जनपदों को अवगत कराया गया कि आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर स्लम फ्री एक्शन प्लान की सूचना उपलब्ध है जिसका उपयोग संबंधित जनपद कर सकते है।

  अतः इस सम्बन्ध में जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्गत निर्देशों एवं (USHA) की गाइडलाइन में पूर्वोक्त अन्य भरे गये प्रारूपों के साथ ही प्रत्येक दशा में स्लम प्रोफाइल प्रारूप को भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर सर्वे करा कर प्रविष्ट कराया जाना सुनिश्चित करें। समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाये। USHA सर्वे की गाइड लाइन सूडा की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि शासनादेश संख्या–779/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत शहर स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जो सृजित होने वाली सुविधाओं के नियोजन, कियान्वयन एवं प्रबन्धन के लिए उत्तदायी हैं की बैठक शासनादेश के अनुसार तत्काल आहूत करा कर इसका कार्यवृत्त कार्यालय को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह के अंतर्गत यदि संबंधित सी0एम0एम0यू0 द्वारा कार्यकारी की समिति की बैठक कर इसका कार्यवृत्त सूडा की ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे शहरों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। इस संबंध में निर्देश दिये गये की जिन जनपदों की सर्वेक्षण रिपोर्ट 15.03.2015 तक नहीं प्राप्त होती है उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम गारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये। जिन 11 शहरों में भूमि नहीं मिली है उनको पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाय।

- कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि तत्काल समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित् करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

- शहरी बेघरों के सर्वेक्षण हेतु समस्त चयनित शहरों को सर्वेक्षण का प्रारूप प्रेषित कर इसकी सूचना सूडा को शीर्ष वरीयता पर उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था किन्तु कतिपय शहरों को छोड़कर अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सर्वेक्षण की सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए समस्त चयिनत शहरों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 12 मार्च, 2015 से पूर्व सूचना प्रेषित कर दी जाय अन्यथा संबंधित पटल सूचना न प्रेषित करने वाले शहरों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय। संबंधित शहरों को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ–पत्र दाखिल किया जाना है, अतः जिस शहर द्वारा 12 मार्च, 2015 के पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सही सूचना सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी, ऐसे शहरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना अधिकारी एवं शहर परियोजना परियोजना अधिकारी को निर्देश है कि सूचना प्रेषण के उपरान्त सूडा से इसकी प्राप्ति की सूचना भी सुनिश्चित् करें।

- कार्यदायी संस्था एवं उपस्थित परियोजना अधिकारियों एवं शहर परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है वे तत्काल कार्यवाही कर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी प्रगति से भी इस कार्यालय को पाक्षिक अवगत कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में अवगत कराया गया कि सूडा द्वारा नगर निगम वाले शहरों में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जायेगी एवं शेष कार्यवाही स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा की जायेगी। शहरी पथ विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु पंजीकरण की कार्यवाही स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा किया जाना है, जिसकी प्रगति पर अत्यन्त असंतोष व्यक्त करते हुये स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- अभिनव एवं विशेष परियोजनायें (Innovative & Special Projects) के अंतर्गत जनपदों द्वारा अभी तक परियोजना न प्रेषित करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी 15 दिन के अन्दर परियोजना भेजना सुनिश्चित् करें।

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत पूर्व में जनपदों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 का समाप्ति की ओर है एवं इस उपघटक के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नहीं है। समस्त संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूहों ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण बैंकवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई–मेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपद जिन्होंने कौशल रिक्तता (Skill Gap) की सूचना अभी सूडा को उपलब्ध नहीं करायी, वे एक सप्ताह के अन्दर सूचना सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। यह सूचना nsdcindia.org की वेबसाइट पर भी जनपदवार उपलब्ध है। उक्त का संज्ञान लिया जाये।

- परियोजना निदेशक, सूडा को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 05 अत्यन्त असंतोषजनक शहरों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जनपद बेरली, गौतमबुद्धनगर एवं झांसी जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है उन्हें निर्देशित किया गया कि तत्काल यू0सी0 का मिलान मुख्यालय पर कराते हुए अवशेष धनराशि अथवा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (रटेप–अप) के अन्तर्गत सभी जनपदों को संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा जनपद शाहजहॉपुर में प्रशिक्षण के अंतर्गत कई माह से सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। परियोजना अधिकारी शाहजहॉपुर द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था जिसने प्रशिक्षण का कार्य कराया है, के द्वारा अभी तक प्लेसमेंट की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। संस्था के विरूद्ध परियोजना अधिकारी द्वारा अभी तक कार्यवाही न किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया एवं परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित संस्था के विरूद्ध एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित् कराते हुए कृत कार्यवाही से सूडा को अवगत कराना सुनिश्चित करें। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया किया कि यदि परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा में संस्था के विरूद्ध कार्यवाही कर सूडा को अवगत नहीं कराया जाता है तो परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

- जनपदों को निर्देशित किया जा रहा है कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना समाप्त कर भारत सरकार द्वारा इसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) प्रारम्भ किया गया है। अतः जैसा कि जनपदों को पूर्व में ही निर्देशित किया गया है कि एस0जे0एस0आर0वाई0 के ऑडिट का कार्य सूडा के लेखानुभाग साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाय ताकि भारत सरकार द्वारा बार–बार मांगी जा रही सूचना प्रेषित की जा सके। इस संबंध में समीक्षा में संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों द्वारा अभी तक ऑडिट का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिसके कारण भारत सरकार को सूचना प्रेषित नहीं की जा पा रही है। बैठक में रोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि दिनांक 04.03.2015 को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा विडियो–कान्फ्रेन्सिग की जा रही है, जिसमें इस बिन्दु की भी समीक्षा की जायेगी। अतः जिन जनपदों द्वारा अभी तक ऑडिट का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है वे जनपद सूडा से लेखा का मिलान कर 04.03.2015 से पूर्व ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सूडा के लेखानुभाग को जिन जनपदों द्वारा उक्त अविधि में ऑडिट की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही–सूडा लेखानुभाग/संबंधित डूडा)

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- योजना की समीक्षा करने पर तथ्य संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों की कई परियोजनायें स्वीकृत है किन्तु काफी पूर्व से ही धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी अभी तक कार्य प्रारम्भ ही नही किये गये हैं। सूडा को निर्देशित किया गया कि ऐसे जनपदों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाये।

- सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व कहां से कहां तक कार्य कराया जाना, का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती</u>

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपद –लखनऊ, वाराणसी एव मेरठ द्वारा पूर्व की बैठक में अवगत कराया गया था कि धनराशि व्यय हो चुकी है उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जायेगें। किन्तु अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नही किये गये है जो कि अत्यन्त खेदजनक है। इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सूडा एव संबंधित डूडा)

<u>एस0सी0एस0पी0</u>

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि **एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।**

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

<u>बैलेन्स शीट</u>

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –</u>

- समस्त जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था का निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।

- समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण किया जाये व इसकी निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को प्रेषित की जाए।

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।
- समस्त जनपदों को अवगत कराया गया कि समस्त योजनाओं की अलग–अलग (योजनावार) ई–मेल आई0डी0 बनायी जा रही है, जिससे जनपदों को शीघ्र ही अवगत करा दिया जायेगा। तद्नुसार जनपद योजनावार संबंधित ई–मेल आई0डी0 पर मेल करेगें।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा है कि बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत् किया जाय, किन्तु कतिपय जनपदों को छोड़कर इसका अनुपालन सुनिश्चित् नहीं किया जा रहा है। कड़े निर्देश दिये गये कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।
- जनपद रामपुर हेतु प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।
- जनपदों से आये परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों द्वारा सूडा में कार्यालय हेतु स्टाफ उपलब्ध कराने का अनुरोध• किया गया जिसके कम में निदेशक महोदय द्वारा मुख्यालय से विस्तृत विवरण मांग कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त सूडा)

09/3/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 5104 /110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 10/03/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/संयुक्त निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0ए0न0एन0, लखनऊ।

8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
10. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
12. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
13. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

09/3/2011

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

12/12